कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–2555162

E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 02/03 /2014/5582 भोपाल, दिनांक 25-5-18

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त मध्यप्रदेश ।

विषय : फोटो निर्वाचक नामावली की प्रति उपलब्ध कराने हेतु दर निर्धारण वावत्।

संदर्भ : इस कार्यालय का ज्ञाप क्रमांक 02/2014/तीन/4342 दिनांक 13.04.2018

कृपया विषयांकित/संदर्भित पत्र दिनांक **13.04.2018** का अवलोकन करें। आगामी विधानसभा निर्वाचन/लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदाता सूची सशुल्क प्रदान करने के दर की जानकारी प्रेषित की गई थी। उक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैः–

1. आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली मैनुअल 2016 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली वाली सी.डी प्रति सी.डी.100/–रूपये मात्र के मूल्य पर पी.डी.एफ.फार्मेट में निर्वाचक नामावली की साफ्ट कापी (निर्वाचकों के फोटो के बिना) दी जाना नियत किया है।

2. निर्वाचक नामावली व सुसंगत अभिलेखों (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 32) की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को ,उसकी फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती हैं। इसके लिए आवेदन के संबंध में वहीं प्रक्रिया अपनायी जावेगी जो राजस्व अधिकारी द्वारा निपटारा किये जाने वाले किसी मामले के संबंध में किये गये आवेदन पत्र के लिये अपनाई जाती है।

3. निर्वाचक नामावली व सुसंगत अभिलेखों के निरीक्षण के लिये एक घंटे या उससे कम के लिए – 50/– रूपये तत्पश्चात् प्रत्येक 15 मिनिट के लिए 25/– रूपये के मान से एवं शीघ्रता के लिए दुगनी दर होगी, शीघ्रता से आशय सुपुर्दगी के लिए आदेश पारित होने के दो दिन से अधिक पश्चात् नहीं होगा।

नियत देय राशि शुल्क एम.पी.टी.सी./चालान द्वारा शासकीय कोषालय में निर्वाचन आय मद " 0070–अन्य प्रशासकीय सेवायें– निर्वाचन–ग–अन्य प्राप्तियॉ 02– निर्वाचन आय" मद के अंतर्गत राशि जमा कर, चालान की मूल प्रति पेश करने पर ही अभिलेख की प्रमाणित प्रति/निरीक्षण का अधिकार होगा। कृपया जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

25.5.18

(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

25-5-18

फा.क्र. 02/2014 /तीन /5583 भोपाल, दिनांक ~~25-5-18~~

प्रतिलिपि :—1. सचिव भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड़ नईदिल्ली की ओर अग्रेषित।
2. संभागीय आयुक्त समस्त मध्यप्रदेश को सूचनार्थ
3. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक्स डोव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर अग्रेषित।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त मध्यप्रदेश
5. श्री राहुल बाघमारे, प्रोग्रामर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय वेबसाईट पर अपलोड़ कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

24.5.18

(संदीप यादव)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश